

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 496 / 14

संस्थित दिनांक 06.06.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

- 1.दलसिंह पिता निहाल सिंह धुर्वे, उम्र-50 साल,
निवासी ग्राम लोरा थाना मलाजखंड जिला बालाघाट(म0प्र0)
- 2.शिवकुमार पिता झुलुराम साहू, उम्र-28 साल,
निवासी ग्राम नचनिया पोस्ट सालेवाड़ा तहसील छुई खदान,
जिला राजनांदगांव (छ.ग.) **पूर्व से निर्णित**

.....अभियुक्तगण।

-:: निर्णय ::-::

दिनांक 21.06.2017 को घोषित:-

1- अभियुक्त दलसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-10.01.2014 को दिन के करीब समय 3:04 बजे, ग्राम जत्ता थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटर सायकिल क्रमांक-सी.जी.08/एच.8078 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चालन किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रूपराम झारिया को बैहर अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वह अस्पताल गया और मुर्तजर कथन देने योग्य है या नहीं डॉक्टर साहब से पूछने पर डॉक्टर साहब ने मुर्तजर कथन देने योग्य न होना बताये। मुर्तजर राजकुमार का मुलाहिजा कराया गया। घटनास्थल ग्राम जत्ता का पाये जाने से घटनास्थल पहुँच कर चश्मदीद गवाह कुमारी प्रीति, गुन्दरबती के कथन लेख किया जो महात्मा ज्योति चौक जत्ता के मोतीलाल मानकर के आंगन में प्रीति के साथ खड़ी थी, मोहगांव तरफ से वाहन क्रमांक सी.जी.08एच.8078 का चालक दलसिंह धुर्वे तेज गति लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करना लेख कराया। उक्त अपराध धारा-279, 337 भा.दं0सं0 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी के कथन लेख किये गये। गवाहों के कथन लेख किये गये तथा घटनास्थल से वाहन जप्त किया गया। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्त को पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। जिला चिकित्सालय बालाघाट से एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक्स-रे रिपोर्ट में फ्रेक्चर लेख होने पर धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया

गया। अभियुक्त द्वारा वाहन का रजिस्ट्रेशन पेश करने पर जप्त किया गया। वाहन चालक द्वारा लायसेंस पेश न करने, वाहन मालिक द्वारा बिना लायसेंस व्यक्ति को वाहन चलाने देने, बीमा पेश न करने पर धारा-3/181, 146/196, 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट का ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— अभियुक्त दलसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत राजकुमार ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196, का अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक-10.01.2014 को दिन के करीब समय 3:04 बजे, ग्राम जत्ता थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटर सायकिल क्रमांक-सी.जी.08/एच.8078 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चालन किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— साक्षी राजकुमार ताराम(अ0सा0-01) ने कहा है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना 10 जनवरी, 2014 के दिन के चार-पांच बजे ग्राम परसाटोला के आगे मोड़ की है। घटना दिनांक को वह प्रदीप के साथ मोटर सायकिल से परसाटोला से बंजारीटोला जा रहा था और मोटर सायकिल वह चला रहा था। जैसे ही उनकी मोटर सायकिल परसाटोला से आगे अपनी साईड से जा रहे थी, तभी सामने मोहगांव तरफ से एक मोटर सायकिल उनके साईड में आकर उनकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वे लोग मोटर सायकिल से गिर गये थे और वह बेहोश हो गया था। उक्त दुर्घटना में उसे चेहरे पर चोट आई थी और दांत टूट गये थे एवं ठुड्डी की हड्डी टूट गयी थी। मोटर सायकिल चालक को वह नहीं देख पाया था। उक्त दुर्घटना सामने से आ रहे मोटर सायकिल चालक की गलती से हुई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर और उसके बाद बालाघाट अस्पताल में हुआ था और उसके बाद उसने अपना ईलाज प्राईवेट अस्पताल मण्डला में भी करवाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस मोटर सायकिल ने उनकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दी थी, उसका

चालक अभियुक्त दलसिंह था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि दलसिंह ग्राम परसाटोला के आस-पास का रहने वाला है, जिसका नाम पुलिस वालों ने घटना होने के बाद बताया था तथा इस कारण वह आज उसका नाम बता रहा है। उसकी मोटर सायकिल और सामने से आ रही मोटर सायकिल की स्पीड बराबर थी तथा दोनों अपनी-अपनी साईड से आ रहे थे। सामने वाली मोटर सायकिल के सामने कुत्ते आ गये थे, जिस कारण उसके चालक ने उनकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया तथा उक्त दुर्घटना कुत्ता आ जाने के कारण घटित हुई थी। उसने अपने पुलिस कथन में मोटर सायकिल का नंबर नहीं बताया था।

6— साक्षी प्रदीप मरावी (अ0सा0-02) ने कहा है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके कथन देने से एक वर्ष पूर्व दिन के करीब तीन बजे की है। घटना दिनांक को वह राजकुमार के साथ मोटर सायकिल से परसाटोला से उसके घर बंजारीटोला जा रहा था। उनकी मोटर सायकिल ग्राम जत्ता के मोड़ पर अपने साईड से चल रही थी, तभी सामने से अभियुक्त दलसिंह की मोटर सायकिल आई जिसकी गति तेज थी, जिसे अभियुक्त दलसिंह चला रहा था, जैसे ही कुत्ता आया तो दलसिंह की मोटर सायकिल आ गई और उनकी मोटर सायकिल को टक्कर लग गई थी। उनकी मोटर सायकिल के चालक राजकुमार को मुँह तथा हाथ में चोट लगी थी और वह भी गिर गया था। उसे चोट नहीं आई थी, क्योंकि उनकी गाड़ी धीरे चल रही थी। उक्त दुर्घटना अभियुक्त की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने मोटर सायकिल उनकी साईड में लाकर टक्कर मारी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त दलसिंह ने अपनी मोटर सायकिल को तेज गति से चलाते हुये उनकी साईड में आकर टक्कर मारी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय कुत्ता नहीं आया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि अभियुक्त दलसिंह उसकी मोटर सायकिल को सावधानीपूर्वक और नियंत्रण करके चलाता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि अभियुक्त की मोटर सायकिल की स्पीड 40 कि.मी. प्रति घंटे की रही होगी। अभियुक्त की मोटर सायकिल के सामने कुत्ते आ गये थे, इसलिये दुर्घटना घटी थी। कुत्ते आने के पहले दोनों मोटर सायकिल अपनी-अपनी साईड में थी और अगर अभियुक्त की मोटर सायकिल के सामने कुत्ते नहीं आते तो घटना घटित नहीं होती। उसने बयान देते समय पुलिस को मोटर सायकिल का नंबर नहीं बताया था।

7— साक्षी बुदरबतीबाई(अ0सा0-06) ने कहा है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना उसके साक्ष्य देने के तीन साल पूर्व शाम को चार बजे ग्राम जत्ता की है। घटना के समय अभियुक्त अपनी मोटरसाईकिल से मोहगांव तरफ से आ रहा था, जिसकी टक्कर परसाटोला तरफ से आ रहे मोटरसाईकिल वाले से हो गयी थी, परसाटोला तरफ से आ रही मोटर सायकिल में दो लोग सवार थे। घटना में परसाटोला तरफ से आ रहे मोटर सायकिल वाले को काफी चोटें आयी थी। घटना अभियुक्त की गलती से हुई थी, क्योंकि अभियुक्त ने गलत दिशा में जाकर एक्सीडेंट किया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके

बयान लिये थे। उसे दलसिंह की गाड़ी का नंबर ध्यान नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने दुर्घटना होते हुये नहीं देखी थी तथा टक्कर होने की आवाज सुनकर उसने घटनास्थल को देखा था। दुर्घटना में गलती दलसिंह की थी क्योंकि उसने गलत दिशा में जाकर दुर्घटना की थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह गाड़ियों की स्थिति के अनुसार बता रही है कि दलसिंह की गाड़ी गलत दिशा में थी।

8— साक्षी सुबेलाल पंचतिलक (अ0सा0-05) ने कहा है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने से करीब छः माह पूर्व ग्राम जत्ता की है। एक्सीडेंट होने का शोर सुनकर वह सड़क के पास गया और देखा कि दो मोटर सायकिल वाले गिरे पड़े थे। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर परसाटोला तरफ से आ रही मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.07 का कथन देने से इंकार किया।

9— डॉ० एन.एस.कुमरे (अ0सा0-03) ने कहा है कि वह दिनांक 10.01.2014 को शासकीय अस्पताल बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक सूचना टी.आई. बैहर को दी गई थी, जिसमें आहत दलसिंह पिता निहालसिंह उम्र 40 साल एवं राजकुमार पिता समरतसिंह उम्र 28 साल को रोड एक्सीडेंट से चोट आना लेख था, जो प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना बैहर से आरक्षक श्यामलाल द्वारा आहत राजकुमार को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। आहत को सिर के अग्रभाग पर बायें तरफ कंट्यूजन, निचले लिप पर लेसरेटेड वुंड, चेहरे पर बायें तरफ कंट्यूजन, उपरी लिप पर कंट्यूजन एवं बायें हाथ में बाहर की तरफ एब्रेजन पाया था। आहत को सिर के अग्रभाग पर बायें तरफ कंट्यूजन, चेहरे पर बायें तरफ कंट्यूजन एवं उपरी लिप पर कंट्यूजन के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी और शेष छोटे साधारण प्रकृति की थी। उक्त सभी चोटें कड़ी व बोथरी वस्तु से आ सकती थी एवं जॉच के 06 घण्टे के अंदर की थी। आहत को ऑब्जरवेशन में रखकर जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— डॉ० डी.के.राउत (अ0सा0-04) ने कहा है कि वह दिनांक 28.02.2014 को जिला अस्पताल बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 11.01.2014 को एक्सरे टेक्नीशियन निलेश गौतम ने आहत राजकुमार पिता समरतसिंह के दाहिने कलाई के जोड़ व हाथ का एक्स-रे लिया था, जो एक्स-रे प्लेट क्रमांक 361 था, जिसे डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने दाहिने हाथ की रेडियस हड्डी के निचले भाग में अस्थिभंग होना पाया था, केलस नहीं था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— साक्षी रूपराम झारिया (अ0सा0-07) ने कहा है कि वह दिनांक 10.01.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सी.एच.सी. बैहर अस्पताल से मैमो प्राप्त होने पर जांच किया, जांच के दौरान आहत राजकुमार के कथन लेख किये थे। वाहन क्रमांक सी.जी. 08/एच-8078 के चालक द्वारा तेज गति से लापरवाहीपूर्वक वाहन चालकर ठोस मारने से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान गवाह प्रदीप मेरावी, सूमेलाल, बुंदरबाई, कु0 प्रीति मानकर, विरेन्द्र धुर्वे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। आहत राजकुमार का मुलाहिजा फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भिजवाया था। दिनांक 12.01.2014 को लक्ष्मीप्रसाद के बताये अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को घटनास्थल से लक्ष्मीप्रसाद और मदनलाल के समक्ष एक मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08/एच-8078 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 28.02.2014 को अभियुक्त से गवाहों के समक्ष घटनास्थल से जप्तशुदा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेश करने पर जप्त किया था, जो जप्ती पत्रक प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर अभियुक्त का अंगुठा निशान है। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.12 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी का अंगुठा निशान है। विवेचना के दौरान आहत की एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में फ्रेक्चर होने से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 338 भा.दं0स0 का इजाफा किया था तथा अभियुक्त के पास उक्त वाहन को बिना बीमा एवं लाईसेंस के चलाने एवं वाहन मालिक द्वारा अपने वाहन को चालन हेतु देने से धारा 3/181, 146/196, 5/180 मो.व्ही.एक्ट के तहत इजाफा किया था। जप्तशुदा वाहन का देवेन्द्र असाठी से मुलाहिजा कराया गया था एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने प्र.पी.08 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेख करने तथा मौका नक्शा प्र.पी.09 घटनास्थल पर न जाकर थाने पर बैठकर बनाने के तथ्य से इंकार किया। साक्षी ने घटनास्थल से मोटर सायकिल तथा अभियुक्त के पेश करने पर रजिस्ट्रेशन जप्त नहीं करने तथा अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं करने के तथ्य से भी इंकार किया है। साक्षी ने उक्त तथ्य को भी अस्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा उसे वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे।

12— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाया गया हो। अभियोजन साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये हैं। घटना के आहत परिवादी राजकुमार अ.सा.01 तथा उसके वाहन पर सवार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रदीप अ.सा.02 ने अभियुक्त की मोटर सायकिल के सामने कुत्ते आ जाने के कारण दुर्घटना होने के कथन किये हैं। दोनों साक्षियों ने अभियुक्त के वाहन की गति अधिक होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तथा घटना में अभियुक्त की गलती न होना व्यक्त किया है। अन्य किसी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन

नहीं किया है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों स्वयं प्रमाण है के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियुक्त दलसिंह को भा.दं०स० की धारा-279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-02 एवं 03 का निष्कर्ष :-

13— विवेचक साक्षी रूपराम झारिया अ.सा.07 के अनुसार विवेचना के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त दलसिंह के द्वारा वाहन को बिना बीमा एवं बिना लायसेंस के चलाया गया था, जिससे उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 तथा 146/196 का ईजाफा किया गया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के तथ्य से इंकार किया। घटना के आहत परिवादी राजकुमार अ.सा.01 तथा प्रदीप अ.सा.02 ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चलाने के कथन किये गये हैं। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी गई है कि घटना के समय वह अन्यत्र था अथवा उसके द्वारा वाहन चालन नहीं किया जा रहा था। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये हैं। दुर्घटना के समय वाहन का बीमा तथा अनुज्ञप्ति होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बिना बीमा के चलाया गया। फलतः अभियुक्त दलसिंह को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 तथा 146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

14— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

15— अतः अभियुक्त दलसिंह को मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 के अपराध के लिए 500/—(पांच सौ) रुपये तथा धारा-146/196 के अपराध के लिये 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। इस प्रकार कुल 1,500/— (एक हजार पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

16. अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
18. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी. 08/एच.8078 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
19. अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।
- निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।
- हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग)